चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 09.03.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनांक 09.03.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह द्वारा दिनांक 14.03.2026 व 15.03.2026 को होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस सब-इंस्पेक्टर लिखित परीक्षा 2026 को सकुशल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराए जाने के दृष्टिगत गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कर्वी चित्रकूट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों के प्रवेश एवं निकास व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, कक्षों की व्यवस्था तथा पुलिस बल की तैनाती का जायजा लिया गया।

उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस प्रशासन द्वारा परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री श्याम प्रताप पटेल द्वारा भोली-भाली जनता में आर्थिक व भौतिक लाभ को लेकर भय आतंक फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले अभियुक्त 1.अरुण शुक्ला पुत्र वेद प्रकाश शुक्ला 2. आदित्य शुक्ला उर्फ कैलाश पुत्र वेद प्रकाश शुक्ला 3.अमित यादव पुत्र रामकरन यादव निवासीगण छिपनीबाहर खेडा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 3 यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत की कार्यवाही की गयी।

(4)**श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अक्षीक्षक श्री सत्यपाल सिंह की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में जनपद के समस्त थानों में नियुक्त पैरवी का कार्य देख रहे पैरोकार,न्यायालय के कोर्ट मुहर्रिर एवं थानों में नियुक्त हेड मुहर्रिर के साथ"ऑपरेशन दहन" के तहत मादक पदार्थों का विनष्टीकरण/निस्तारण के सम्बनध पैरवी का कार्य देख रहे अधिकारी/कर्मचारियों के साथ गोष्ठी किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा इस गोष्ठी में इस वर्ष में एनडीपीएस एक्ट की धारा 52क व नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (जब्ती,भण्डारण,नमूनाकरण और निपटान) नियम 2022 के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष सैपलिंग,इन्वेट्री तथा फोटोग्राफी कराते हुए फॉर्म 04 तैयार कराने,सम्पैल को परीक्षण हेतु फॉर्म 06 में विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने,रिपोर्ट प्राप्त करने,माननीय न्यायालय से ड्रग डिस्पोजल की अनुमति हेतु रिपोर्ट प्रेषित करने,माननीय न्यायालय की अनुमति के पश्चात ड्रग डिस्पोजल कमेटी के माध्यम से बरामद ड्रग का निस्तारण कराने के सम्बन्ध में समस्त पैरोकार, कोर्ट मोहर्रिरों एवं हेड मुहर्रिरों को बताया गया। तथा कार्यवाही किये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।**

गोष्ठी के दौरान वाचक पुलिस अधीक्षक श्री राजीव कुमार सिंह,प्रभारी डीसीआरबी श्री अशोक कुमार एवं समस्त थानो के हे0का0 मुन्शी/का0 मुन्शी एवं पैरोकार,कोर्ट मुहर्रिर उपस्थित रहे।